प्रेस नोट
दिनांक 13.08.2026

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर बदमाशों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, 08 अदद डीजे मशीन सहित भारी मात्रा में चोरी का सामान (कीमत लगभग 12 लाख) बरामद—

कार्यवाही—

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा 02 चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर बदमाशों— 01. कुलभूषण पुत्र सत्य नारायण तिवारी नि0 गोडवाघाट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा, 02. छोटू सिंह उर्फ ओमप्रकाश सिंह पुत्र रणजीत सिंह, निवासी ग्राम बानेपुर, थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा को ऊंटघाट पुल से पहले जंगल के किनारे से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 01 बड़ी पीतल की परात, 02 छोटी पीतल की परात, 03 बड़ी पीतल की थाली, 07 छोटी पीतल की थाली, 01 मीडियम स्टील की थाली, 08 अदद डीजे मशीन, 02 अदद साउण्ड मिक्सर मशीन, 02 अदद एसआरपी लाइट, 01 अदद मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेन्डर प्रो0 बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः—

वादी अमर मौर्या पुत्र पंचम लाल मौर्या निवासी ग्राम मुरावनपुरवा कोठा, थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा द्वारा थाना वजीरगंज पर लिखित तहरीर दी गयी कि उनके बड़े पापा शिवलाल मौर्या पुत्र खुद्दी लाल मौर्या का मकान उनके मकान के बगल में स्थित है। शिवलाल मौर्या अपने पूरे परिवार के साथ मुम्बई में रहते हैं। दिनांक 11/12.08.2026 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा मकान के पीछे के दरवाजे से घर में प्रवेश कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना वजीरगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। चोरी की घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम क्षेत्र में पतारसी—सुरागरसी कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मनकापुर—नवाबगंज रोड पर ऊंटघाट पुल से पहले जंगल के किनारे कुछ व्यक्ति चोरी का सामान लेकर बैठे हैं तथा सामान को ले जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई। पुलिस टीम द्वारा दो व्यक्तियों को पकड़ लिया, जबकि एक व्यक्ति अंधेरे एवं जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान कुलभूषण पुत्र सत्यनारायण तिवारी, निवासी गोडवाघाट, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा व छोटू सिंह उर्फ ओम सिंह पुत्र रणजीत सिंह, निवासी ग्राम बानेपुर, थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा के रूप में हुई। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से से चोरी की 01 बड़ी पीतल की परात, 02 छोटी पीतल की परात, 03 बड़ी पीतल की थाली, 07 छोटी पीतल की थाली, 01 मीडियम स्टील की थाली, 08 अदद डीजे मशीन, 02 अदद साउण्ड मिक्सर मशीन, 02 अदद एसआरपी लाइट, 01 अदद मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेन्डर प्रो0 बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण—

गिरफ्तार अभियुक्तों कुलभूषण पुत्र सत्यनारायण तिवारी एवं छोटू सिंह उर्फ ओम सिंह से पुलिस टीम द्वारा कड़ाई से पूछताछ की गई। पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने बताया कि उन्होंने अपने साथी शिखर सिंह पुत्र जंगबहादुर सिंह निवासी ग्राम धनेश्वरपुर, थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा के साथ मिलकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। अभियुक्तों ने बताया कि दिनांक 11/12.08.2026 की रात्रि में तीनों ने ग्राम मुरावन पुरवा कोठा स्थित एक बंद मकान के पीछे के दरवाजे से घुसकर पीतल एवं स्टील के बर्तन चोरी किए थे। इसके अतिरिक्त दिनांक 09.08.2026 की रात्रि में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के ग्राम बावरिया

दुर्जनपुर स्थित एक डीजे की दुकान में पीछे से सेंध काटकर डीजे मशीन, साउण्ड मिक्सर मशीन एवं एसआरपी लाइट चोरी की थी। चोरी किए गए सामान को जंगल में छिपाकर रखा गया था। अभियुक्तों ने यह भी बताया कि बरामद सुपर स्प्लेन्डर मोटरसाइकिल को उन्होंने अपने साथी शिखर सिंह के साथ मिलकर कुछ दिन पूर्व फैजाबाद शहर से सड़क किनारे खड़ी अवस्था में चोरी किया था। तीनों चोरी किए गए सामान को एकत्र कर उसे बेचने की फिराक में थे और सामान को ले जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रहे थे, तभी पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनका साथी शिखर सिंह अंधेरे एवं जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. कुलभूषण पुत्र सत्य नारायण तिवारी नि0 पूरेलम्बरदार पुरवा गोडवाघाट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. छोटू सिंह उर्फ ओमप्रकाश सिंह पुत्र रणजीत सिंह, निवासी ग्राम बानेपुर, थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग–

01. मु0अ0सं0– 318/2026 धारा 305(ए), 317(2) बीएनएस थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0– 735/2026 धारा 331(4), 305(ए) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 बड़ी पीतल की परात
02. 02 छोटी पीतल की परात
03. 03 बड़ी पीतल की थाली
04. 07 छोटी पीतल की थाली
05. 01 मीडियम स्टील की थाली
06. 08 अदद डीजे मशीन
07. 02 अदद साउण्ड मिक्सर मशीन
08. 02 अदद एसआरपी लाइट
09. 01 अदद मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेन्डर प्रो0

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 विकास गुप्ता।
02. उ0नि0 राजदेव यादव।
03. उ0नि0 रणविजय सिंह।
04. का0 रजत सिंह।
05. का0 अजय सरोज।
06. का0 दीपक यादव।
07. का0 चन्देश वर्मा।
08. का0 शोभित पाण्डेय।
09. का0 शिवांशु यादव।

अभियुक्त कुलभूषण का आपराधिक इतिहास–

01. मु0अ0सं0–0325/2024 धारा 379,411,413 आईपीसी, थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–0414/2024 धारा 379,411,413 आईपीसी, थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
03. मु0अ0सं0–0477/2024 धारा 379,411,413,420,467,468,471 आईपीसी, थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
04. मु0अ0सं0–0479/2024 धारा 379,411,413 आईपीसी, थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
05. मु0अ0सं0–0480/2024 धारा 379,411,413 आईपीसी, थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
06. मु0अ0सं0–0481/2024 धारा 379,411 आईपीसी, थाना कोतवाली नगर गोण्डा।

07. मु0अ0सं0–0835 / 2024 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट, थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
08. मु0अ0सं0–735 / 2026 धारा 331(4), 305(ए) बीएनएस, थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
09. मु0अ0सं0 318 / 2026 धारा 305(ए), 317(2) बीएनएस, थाना वजीरगंज गोण्डा।

<u>अभियुक्त छोटू सिंह का आपराधिक इतिहास–</u>

01. मु0अ0सं0–22 / 2025 धारा 305(ए),317(2),331(2) बीएनएस, थाना छावनी बस्ती।
02. मु0अ0सं0–61 / 2025 धारा 305(ए),317(2),331(2) बीएनएस, थाना छावनी बस्ती।
03. मु0अ0सं0–86 / 2025 धारा 305(ए),331(2) बीएनएस, थाना छावनी बस्ती।
04. मु0अ0सं0–88 / 2025 धारा 305(ए),317(2),317(5),331(2) बीएनएस, थाना छावनी बस्ती।
05. मु0अ0सं0–72 / 2025 धारा 305(ए) बीएनएस, थाना हरैया बस्ती।
06. मु0अ0सं0–448 / 2024 धारा 3(5),305(ए),331(4) बीएनएस, थाना कोतवाली बस्ती।
07. मु0अ0सं0–30 / 2025 धारा 305(ए),317(2),331(4) बीएनएस, थाना वाल्टरगंज बस्ती।
08. मु0अ0सं0–62 / 2025 धारा 305(ए),331(1) बीएनएस, थाना वजीरगंज गोण्डा।
09. मु0अ0सं0–72 / 2025 धारा 305(ए),331(4) बीएनएस, थाना वजीरगंज गोण्डा।
10. मु0अ0सं0–74 / 2025 धारा 305(ए),331(4) बीएनएस, थाना वजीरगंज गोण्डा
11. मु0अ0सं0–447 / 2024 धारा 303(2),317(2) बीएनएस, थाना कोतवाली अयोध्या।
12. मु0अ0सं0–222 / 2025, धारा 305(ए),331(4),317(2) बीएनएस थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
13. मु0अ0सं0–246 / 2025 धारा 305(ए),317(2),31(4),334(2) बीएनएस, थाना वजीरगंज गोण्डा।
14. मु0अ0सं0–735 / 2026 धारा 305(ए),331(4) बीएनएस, थाना वजीरगंज गोण्डा।
15. मु0अ0सं0–318 / 2026 धारा 305(ए),317(2) बीएनएस, थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 13.08.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी बैनामा कराने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाही
पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री योगेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–746/2026 धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2) बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त किंग उपाध्याय उर्फ राहुल पुत्र राजकुमार उपाध्याय निवासी ग्राम मन्नीपुरवा डिडिसिया कला, थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा को कटहाघाट पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण
वादी राज प्रसाद शुक्ल पुत्र रामतेज शुक्ल निवासी मकान नं0 745, निराला नगर, कटहाघाट मोड़, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षीगण कल्पनाथ एवं किंग उपाध्याय द्वारा कूटरचना एवं धोखाधड़ी कर स्वयं को जगन्नाथ प्रदर्शित करते हुए दिनांक 22.01.2026 को ग्राम रोहांवा स्थित भूमि का बैनामा करा दिया गया। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें आज दिनांक 13.08.2026 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए अभियुक्त किंग उपाध्याय उर्फ राहुल पुत्र राजकुमार उपाध्याय निवासी ग्राम मन्नीपुरवा डिडिसिया कला, थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा को कटहाघाट पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. किंग उपाध्याय उर्फ राहुल पुत्र राजकुमार उपाध्याय निवासी ग्राम मन्नीपुरवा डिडिसिया कला, थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–746/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस थाना को0 नगर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. प्रभारी निरीक्षक विन्देश्वरी मणि त्रिपाठी, थाना कोतवाली नगर
02. उ0नि0 अजय कुमार तिवारी
03. उ0नि0 पिन्टू यादव
04. हे0का0 गिरजेश यादव
05. हे0का0 विपिन पाण्डेय
06. का0 बिपिन यादव
07. का0 प्रभाकर यादव
08. रि0का0 अंकुर वर्मा
09. म0का0 प्रियंका सिंह
10. म0का0 रिया सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा